

संख्या । १३०॥आई सी/८६

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
चय विभाग
कार्यान्वयन बळ

नई दिल्ली, ११ मई, १९९०

वायलिंग ज्ञापन

विषय:- योथे केन्द्रीय देश आयोग की टिफोरिज्म-पशु प्रौक्तराङ्कों को प्रौक्तस बंदी भत्ते की मञ्चरी ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक २९ सितंबर, १९८८ के इसी संख्या के काठज्ञा० का व्याला देने तथा यह छने का निर्देश हुआ है कि पशु प्रौक्तराङ्कों को दिस जाने वाले प्रौक्तस बंदी भत्ते की दरों में और आगे तंगोधन करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विषाराधीन रहा है। राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लिया है कि इस मंत्रालय के दिनांक २९.९.८८ के काठज्ञा० के पैरा २ में यथा अंदिनीर्दिष्ट प्रौक्तराबंदी भत्ते की दरें नीचे दर्शाए अनुसार होंगी :-

प्रौक्तस-बंदी भत्ता

पुनरीक्षा के नामान में केन	रेज	प्रौक्तस बंदी भत्ते की दर
३०८०रु८ से नीचे		प्रौति माह ॥
३०००/रु० और उससे ऊपर		६००रु०

६००रु०

८००रु०

२. इस मंत्रालय के दिनांक २९.९.८८ के काठज्ञा० में निहित अन्य रक्षी की अपारद्धानीय रहेंगी ।

३. यह आदेश यारी होने की तारीख से लागू होंगे । प्रिय भ्रू. सुखेना
प्री०बी०सक्सेना

निदेशक

देवा में,

तथा गंतालय/विभाग हत्यार्दि ।
मानक अंकरण सूची के अनुसार